

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- /01/2026

विषय:- श्री सुनील कुमार तिवारी, बि0प्र0से0, को0क्र0-208/24, के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श्री सुनील कुमार तिवारी, बि0प्र0से0, को0क्र0-208/24, द्वारा मंत्रिपरिषद् विघटित होने के उपरान्त श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री (कृषि विभाग, बिहार, पटना तथा खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना) के आप्त सचिव (सरकारी) के पद से दिनांक-19.11.2025 के अपराहन में स्वतः प्रभार त्याग कर दिनांक-20.11.2025 के पूर्वाहन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान दिया गया है।

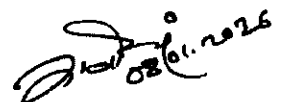
2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-22285, दिनांक-01.12.2025 द्वारा श्री सुनील कुमार तिवारी, बि0प्र0से0 को श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव (सरकारी) के पद पर पदस्थापित किया गया।

उक्त अधिसूचना एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1450, दि0-08.12.2025 के आलोक में श्री तिवारी द्वारा दिनांक-10.12.2025 के पूर्वाहन में अधिसूचित पद का स्वतः प्रभार ग्रहण किया गया।

3. इस प्रकार श्री सुनील कुमार तिवारी, बि0प्र0से0, को0क्र0-208/24, दिनांक-20.11.2025 से दिनांक-09.12.2025 तक बिना प्रभार के रहे।

4. श्री सुनील कुमार तिवारी, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का दिनांक-20.11.2025 से दिनांक-09.12.2025 तक की अनिर्णित अवधि का विनियमन निम्नरूप में किया जाता है-

- (क) दिनांक-20.11.2025 से दिनांक-27.11.2025 तक-मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम-14 (बी) के सदृश है, के तहत पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।
- (ख) दिनांक-28.11.2025 को देय उपार्जित छुट्टी के रूप में।
- (ग) दिनांक-29.11.2025 से 07.12.2025 तक-मौलिक नियमावली के नियम 9 (6) (बी) (iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम-14 (बी) के सदृश है, के तहत पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।
- (घ) दिनांक-08.12.2025 से दिनांक-09.12.2025 तक आकस्मिक अवकाश के रूप में।



5. उक्त अवधि में श्री सुनील कुमार तिवारी, बि०प्र०से० को कोटि वेतन देय होगा।
6. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

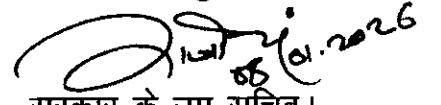
(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/निजी-923/2024- 509 /सा०प्र०,

पटना-15, दिनांक-08/01/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ श्री सुनील कुमार तिवारी, आप्त सचिव (सरकारी), माननीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना /आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।